संख्याः–1270/XIV-1/2013–5(7)/2013

प्रेषक,

कुणाल शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून ,दिनॉक 30 अगस्त, 2013

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–2067/नियो0/जिला योजना/एस0सी0एस0पी0/2013–14 दिनांक 16 जुलाई, 2013, वित्त विभाग के आदेश सं0–284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं आदेश सं0–329/XXVII (1)/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तथा शासनादेश दिनांक 737/XIV-1/2013–5(7)/2013 दिनांक 17 मई, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को आवंटित अवशेष कुल **₹1,28,000/–(रूपये एक लाख अठ्ठाइस हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। जनपद में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा संगत योजनाओं के लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

(2) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

क्रमशः

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(8) जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।

2– उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 :– 284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा ।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–30 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सहकारी क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

4– ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः–59(P)/XXVII-4/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)
सचिव।

संख्याः–1270 (1)/XIV–1/2013,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
5. जिला सहायक निबन्धक, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. वित्त अनु0–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण अनु0/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यू0सी0कबडवाल)
अपर सचिव।